

355

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म0प्र0राजस्व मंडल-भोजल ऊण्ड

पीठ रीवा म0प्र0



466

Rs. 30/-

R 5524-II/16

1. बजरंगी पटेल पिता साधू पटेल उम्र 50 साल
2. बैजनाथ पिता स्व0रामप्रगास उम्र 65 साल
3. भोला पिता साधू पटेल उम्र 62 साल
4. राकेश पटेल पिता रामखेलावन पटेल उम्र 35 साल
5. दिलीप पटेल पिता रामखेलावन पटेल उम्र 32 साल
6. बृजेश पटेल पिता रामखेलावन पटेल उम्र 30 साल

समस्त निवासी ग्राम कोठर, तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0

निगरानीकर्तागण

बनाम

1. छोटा कोल पिता टिङ्गई कोल उम्र 80
2. रामाधार पिता गया कोल उम्र 32 साल
3. श्यामकली कोल पिता गया प्रसाद कोल उम्र 36 साल

समस्त निवासी ग्राम कोठर, तहसील नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0  
(५) शास्त्र ना पु

गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी बिलब्द आदेश न्यायालय श्रीमान अपर  
कलेक्टर महोदय जिला रीवा म0प्र0 के प्रकरण  
क्रमांक 68/अ-12/निगरानी/2013-2014 मे  
पारित आदेश दिनांक 13.10.16 के बिलब्द  
निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भ०रा०सं०

महोदय

निगरानी के आधार निम्न हैं-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.10.16 आदेश  
प्रक्रिया के बिपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, भूमि नम्बर 99/263 जो कि निगरानीकर्ता के पट्टे व  
कब्जे की भूमि है जिसमें ऐकड़ो वर्षों से निगरानीकर्तागणों का कब्जा

चान्दरा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-5524-II / 16

जिला—रीवा

बजरंगी पटेल/छोटा कोल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पटेल उपस्थित।          आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 68/अ-12/निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13.10.2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	 (बी.एम.शर्मा), सदस्य